

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आबकारी अनुभाग

देहरादून: दिनांक 31 अगस्त, 2018

विषय : राज्य में एथेनॉल पर देय परमिट शुल्क को समाप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या-1456/आबकारी/138/2003 दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से तेल कम्पनियों द्वारा एथेनॉल को राज्य के बाहर से आयात करके राज्य में पेट्रोल डिपो स्थापित करके पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रित करने के उपरान्त बिक्री करते हैं अथवा एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को राज्य के बाहर से आयात करके बिक्रय करते हैं तो दोनों ही परिस्थितियों में तेल कम्पनियों को आयातित एथेनॉल की मात्रा पर ₹ 1.10 (एक रूपये दस पैसे) प्रति बल्क ली० की दर से परमिट फीस का भुगतान किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई है।

2. भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-27 ऑफ 2016 दिनांक 14.05.2016 के द्वारा "The Industries (Development and Regulations) Ammendment Act, 2016" में किये गये संशोधन के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1456/आबकारी/138/2003 दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 द्वारा एथेनॉल के आयात पर देय परमिट फीस ₹ 1.10 (एक रूपये दस पैसे) प्रति बल्क ली० को समाप्त किये जाने का एतद्वारा निर्णय लिया गया है, किन्तु एथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से आबकारी विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण यथावत् बना रहेगा। कृपया उक्तवत् तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

30/8/2018

(डा० रणबीर सिंह)

अपर मुख्य सचिव